:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 बड़कोट के पत्र संख्या 756/4भू0 अ0 दिनाक 02.04.2016 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि जनपद उत्तरकाशी में नौगांव स्यूरी मोटर मार्ग के किम्मी बैण्ड से बिरून्था रष्टाड़ी होते हुये कण्डाऊ तक (8.00 कि0मी0) मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.150 है0 के दुगने भूमि 6.300 है0भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रमुख मुख्य वन संरक्षक के पत्र संख्या 08 बी0/यू0सी0पी0/06/71/2015 एफ0सी0/2618 दिनांक 15.03.2016 के द्वारा उक्त मोटर मार्ग की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा भूमि हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार, बड़कोट द्वारा अपने पत्र संख्या मेमो/र0का0/क्षतिपूरक वृक्षारोपण पत्रा0/2011-12 दिनांक 05 अप्रैल, 2016 के द्वारा नौगांव स्यूरी मोटर मार्ग के किम्मी बैण्ड से बिरून्था रष्टाड़ी होते हुये कण्डाऊ तक (8.00 कि0मी0) मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.150 है0 के दुगने भूमि 6.300 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग-9 (3)ड. की भूमि खसरा संख्या 2408म. रक्वा 1.035, 2409 रक्वा 2.883, 2541 रक्वा 2.382 कुल रक्वा 6.300 है0 भूमि का नक्शा, खसरा, खतौनी, इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है ।

शासनादेश संख्या 397/XVIII(II)/2012 दिनांक 29 फरवरी, 2012 (पताका "स") के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण के मामलों में अब उतनी भूमि दी जानी है जितनी वन भूमि योजनओं के लिए प्राप्त की जायेगी । उक्त शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है, कि ऐसी योजनाओं के लिए जिनमें भारत सरकार द्वारा बर्ष 2009 के बाद सैद्वान्तिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है, कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमीदारी विनाश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जाएगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिसमें दोगुनी अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भेजा गया है। उनके लिये किये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तान्तरित की जाय।

अत: तहसीलदार बड़कोट से प्राप्त आख्यानुसार मौजा जरड़ा पट्टी मुगरसन्ती में नौगांव स्यूरी मोटर मार्ग के किम्मी बैण्ड से बिरून्था रष्टाड़ी होते हुये कण्डाऊ तक (8.00 कि0मी0) मोटर मार्ग निर्माण हेतु उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग-9 (3)ड. की भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण खसरा संख्या 2408म. रक्वा 1.035, 2409 रक्वा 2.883, 2541 रक्वा 2.382 कुल रक्वा 6.300 है0 सिविल सोयम भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृमि एतदद्वारा प्रदान की जाती है ।

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या 3375 /आठ-11 (2015-16) दिनांक 29 अप्रैल, 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- उप जिलाधिकारी, बड़कोट/तहसीलदार, बड़कोट।
2- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
3- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 बड़कोट।

भूलेख प्रपत्र सं0 प–11

फसली वर्ष 1423 से 1429 तक

उद्धरण नकल NON ZA खतौनी मौजा जरड़ा पट्टी- मुगरसन्ती तहसील- बड़कोट जिला- उत्तरकाशी

वर्ग 9 (3) ड़ - खाते की दशांश(?) की कृषि योग्य बंजर भूमि —

1	2	3	4	5	6–8 / 1–8
36-	उत्तराखण्ड सरकार		4	0.136	
	वर्ग 9 (3) ड़		6	0015	श्रीमान जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के पत्र सं0 3375/आ
			X	X	(2015-16) दि0 29 अप्रैल 2016 के अनुसार ग्राम जरड़ा में नैगा
			X	X	मोटर मार्ग के किमी बैण्ड से विरुध्या रस्याड़ी होते हुए क
			X	X	तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु उत्तराखण्ड सरकार के स्वा
			✓2408	3.323	की वर्ग 9(3) ड़ की भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु
			✓2409	2.883	नं0 2408 म रकबा 1.035, 2409 म रकबा 2.883, 2541 रक
			X	X	कुल 6.300 है0 सिविल सोयम भूमि राजस्व ग्राम लै
			X	X	प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट
			X	X	पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृ
			✓2541	2.382	प्राप्त हुई है, तद्नुसार अमलदरामद किया,
			2549	0.069	
			X	X	
			X	X	
			X	X	
			6461	0009	
			7924	0020	
	खाते का योग →		1156	251.061	

राजस्व उप निरीक्षक
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र- बड़कोट (उ0 का0)
31/05/2016

सत्य प्रतिलिपि,

राजस्व उप निरीक्षक
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र- बड़कोट (उ0 का0)
31/05/16